५१

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

(परशोत्तम रूपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के कार्यक्रमों की समीक्षा

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-1-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था । दिनांक 09-2-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि और सहकारिता विभाग ने समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु.25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान किया । ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

वित्त वर्ष 2013-14 के खातों की वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय द्वारा नामिकागत चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स उमेश बाबू अग्रवाल द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी । वित्त वर्ष 2013-14 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित हे :

मद	रुपए लाख में
ब्याज तथा अन्य से आय	304.60
घटाएं : प्रशासनिक व्यय	44.19
व्यय से अधिक आय	260.41
घटाएं : आयकर का प्रावधान	64.26
जनरल रिजर्व से अंतरित शेष	196.15
कुल	260.41

श्री संजीव चोपड़ा, संयुक्त सचिव(एन.एच.एम.) ने फरवरी, 2013 से एन.सी.सी.डी. के निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे । उद्योग से कोल्ड-चेन विशेषज्ञ श्री पवनेष कोहली अक्तूबर, 2012 से मुख्य सलाहकार के रूप में निदेशक की सहायता करते रहे । । अप्रैल, 2013 को एन.सी.सी.डी. में कार्यरत जनशक्ति (मैन पावर) की संख्या, दो सहायक कर्मचारियों के सेवा छोड़ने के बाद 3 थी । कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा निर्माण भवन के ए-विंग के कमरा संख्या 645 में आबंटित कार्यालय को मई, 2013 में नवीकरण के बाद परिचालन में लाया गया था ।

गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा

- प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक सेट विशेष रूप से "राइपनिंग चैम्बर्स" के संचालन के लिए शुरू किया गया था । ये आंध्र प्रदेश में जनवरी और फरवरी, 2014 में आयोजित किए गए थे और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के रूप में 98 प्रतिभागियों को आबंटन से लेकर कार्ययोजना तक प्रशिक्षित किया गया था ।

- एन.सी.सी.डी ने चेन्नई में डेनफॉस इंडिया(एन.सी.सी.डी के सदस्य) प्रशिक्षण केंद्र में तीन दिवसीय आवासीय पाठ्यक्रम के रूप में कोल्ड-चेन तथा सप्लाई चेन और इन्वेंट्री प्रबंधन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए उन्नत ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन(एक्सपोजर) के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित किया ।

- एन.सी.सी.डी ने पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ कोल्ड-चेन विकास पर कार्यशालाएं आयोजित कीं। ये कार्यशालाएं इन राज्यों में कोल्ड-चेन के विषय पर पहली बार आयोजित की गई थीं ।

- फ्रांस के सेमाफ्रॉइड ने एन.सी.सी.डी को कोल्ड-चेन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित किया । इस समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर 2 अप्रैल, 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे, जब एन.सी.सी.डी को पेरिस में अंतरराष्ट्रीय कोल्ड-चेन और निरंतरता(सस्टेनेबिलिटी) सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में उद्घाटन भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

- इसके बाद फ्रांस के कृषि मंत्रालय ने भारत-फ्रांस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एन.सी.सी.डी के साथ प्रशिक्षण पहल के लिए एक सब्सिडी देने का प्रस्ताव दिया है ।

- इस अवधि में एन.सी.सी.डी को प्रायोजकों की लागत पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और गोलमेट(राउंडटेबल्स) को संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है । एन.सी.सी.डी कोल्ड-चेन विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग में सहायता करता रहा है ।

- इस अवधि में एन.सी.सी.डी को कोल्ड-चेन विकास में लगी अन्य राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों एवं विभागों द्वारा भी आमंत्रित किया गया है और जो कोल्ड-चेन विकास और उस पर सलाह देने, मार्गदर्शन करने और उनकी पहल का समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया ।

- उद्योग ने एन.सी.सी.डी गतिविधियों में संसाधनों के योगदान के माध्यम से बड़े पैमाने पर सद्भावना(गुडविल) दिखाई है । दिनांक 31-03-2014 को एन.सी.सी.डी में 45 सक्रिय सदस्य शामिल थे, जिनमें एक संरक्षक सदस्य - भारतीय उद्योग परिसंघ(सी.आई.आई) शामिल था, जिन्होंने कॉर्पस के लिए रु.20 लाख का योगदान दिया । एन.सी.सी.डी ने शून्य व्यय के साथ पूर्वोत्तर में दो अध्ययन दौरे पूरे किए । एन.सी.सी.डी प्रबुद्ध मंडल (थिंक टैंक) सम्मेलन(कॉनक्लेव) को अर्नस्ट एंड यंग, कैरियर ट्रांसिकॉल्ड(ए.पी.ए.सी.), ग्लोबल कोल्ड-चेन एलायंस इत्यादि जैसे संगठनों द्वारा अतिरिक्त रूप से समर्थन किया गया था ।

- एन.सी.सी.डी सक्रिय रूप से राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना और राष्ट्रीय बागवानी मिशन(एन.एच.एम) को अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग (डी.ए.सी.) का समर्थन करने में लगी हुई है ।

- एन.सी.सी.डी ने बारहवीं योजना के लिए सभी एन.एच.एम योजनाओं द्वारा प्रस्तावित कोल्ड-चेन सिस्टमों के लिए सहायता प्रतिमानों(पैटर्नस) की समीक्षा की और उसमें संशोधनों की सिफारिश की। इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप एकीकृत कोल्ड-चेन सिस्टम के विकास के लिए तकनीकी समर्थन को तर्कसंगत बनाने और जारी रखने के दौरान निधि का अधिक न्यायसंगत वितरण हुआ है ।

.....

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

(परशोत्तम रूपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-01-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था। दिनांक 09-02-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि और सहकारिता विभाग को समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु. 25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान किया । ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

जीएफआर के प्रावधान के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटीयों, जिनको रु 50.00 लाख और उससे अधिक एकमुश्त सहायता / गैर-आवर्ती अनुदान प्राप्त हुआ है, की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अन्दर सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए। इस प्रकार एनसीसीडी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे दिसंबर, 2014 तक संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने थे। हालाँकि, वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 13.12.2017 को एनसीसीडी द्वारा विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

एनसीसीडी के एम. ओ. ए. के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को एनसीसीडी की गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गवर्निंग काउंसिल ने 21.12.2018 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों

को अनुमोदित किया। तत्पश्चात वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों का अनुवाद किया गया और मुद्रित किया गया जिसमें कुछ समय लगा।

इसलिए, सदन के पटल पर वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने में देरी हुई है। कृपया विलम्ब के लिए क्षमा करें।